

श्री प्रधान मन्त्र अखिलीनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्रीमान,
केन्द्रीय सामाजिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा क्षेत्र-3 लखनऊ क्षेत्र,
प्रोविन्सियल, नई दिल्ली।

विषय 171 अनुदान

दिनांक: 6 नवम्बर, 2000

विषय- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, नौपदा बन्दूक मीनमोडलिंग को सौंपी/उपलब्ध नई शिक्षा से संबन्धित अनुदानित प्रमाण पर 100 करोड़ के तर्जिमे।

बर्तमान,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार नौपदा बन्दूक मीनमोडलिंग को सौंपी/उपलब्ध नई दिल्ली से संबन्धित अनुदानित प्रमाण पर त्रिमे मासे में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तियों के अन्तर्गत अनुदानित नहीं है:-

- 111 विद्यालय की प्रतिकृत सौंपी/उपलब्ध का लक्ष्य-उत्तर पर सौंपी/उपलब्ध कराया जाएगा।
- 121 विद्यालय की प्रतिकृत में शिक्षा विशेष द्वारा नौपदा बन्दूक मीनमोडलिंग।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुदानित बाल/अनुदानित बच्चों के बच्चों के लिये सुरक्षित रहें और उनके उपरुक्त सामाजिक शिक्षा परिषद द्वारा सौंपी/उपलब्ध नई दिल्ली विद्यालयों में विभिन्न शर्तों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 141 सेवा द्वारा राज्य सरकार ने शिक्षा अनुदान को नहीं को जारिगी और यदि पूर्व में विद्यालय सामाजिक शिक्षा परिषद द्वारा सौंपी/उपलब्ध नई दिल्ली के माध्यम से प्राप्त है तथा विद्यालय को सौंपी/उपलब्ध केन्द्रीय सामाजिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन शर्तों पर से उत्तर केन्द्रीय परिषदों को सौंपी/उपलब्ध प्रमाण होने का विधि से उचित सामाजिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान माध्यम तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 151 शिक्षा क्षेत्र एवं शिक्षण क्षेत्र शर्तियों को सौंपी/उपलब्ध प्रमाण शिक्षण क्षेत्रों के शर्तियों को अनुदानित प्रमाणों तथा अन्य शर्तों से उचित प्रमाण तथा अन्य शर्तों दिये जायेगे।
- 161 शर्तियों को सेवा करें जारिगी और उन्हें सौंपी/उपलब्ध प्रमाण सौंपी/उपलब्ध उचित विद्यालयों के शर्तियों के अनुदानित सेवा-निर्धारित का लक्ष्य उपलब्ध कराई जायेगी।
- 171 राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य-उत्तर पर भी जारिगी शिक्षा क्षेत्र जारिगी सेवा उचित प्रमाण जारिगी।
- 181 विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रमाण/शर्तियों में रखा जायेगा।



- 191. उक्त कर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधनका परिष्करण नहीं किया जाएगा।
- 2. उक्त प्रतिबंधों का पालन करना सीधा के लिये इन्वियार्ड होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि सीधा द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने के लिये भी पुनः ही कुछ या शिथिलताएँ पतली जा रही हैं तो राज्य सरकार द्वारा पुनः इनामपत्र पुनः प्रमाण पत्र आवत के लिये आदेश।

भारतीय,

। जयान सुन्दर इन्वियार्ड ।
संयुक्त सचिव।

पुणे-337/ 111/ 15-7-00त दिनांक

पुनर्निविदा निम्नलिखित की सूचनार्थ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु हेतु:-

- 1. जिला निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 2. महासचिव संयुक्त जिला निरीक्षक, मेरठ।
 - 3. जिला निरीक्षक निरीक्षक, नौतासुन्दर।
 - 4. निरीक्षक, जयान भारतीय विद्यालय, जयपुर, लखनऊ।
 - 5. मुख्य, जयान विद्यालय, मेरठ/ नौतासुन्दर, लखनऊ, नौतासुन्दर।
- 16.11
माई काठिया

आप से,



। जयान सुन्दर इन्वियार्ड ।
संयुक्त सचिव।